कम्प्यूटर शिक्षा के विस्तार के लिए योजना

1611. श्री चीमन भाई हरीभाई शुक्ला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात समेत अन्य राज्यों में स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस योजना के लिए बजट में कोई विशेष वित्तीय प्रावधान किया गया है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ): कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही योजनाएं हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

स्कूलों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर उपलब्ध कराने तथा उनके रख रखाव के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के लिए संशोधित बजट प्रावधान 35 करोड़ रु. का है।

इलैक्ट्रानिकी विभाग ने ''शिक्षा परियोजना में कंप्यूटर'' प्रत्येक हाई स्कूल में ''कंप्यूटर'' नामक एक परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को कंप्यूटरों की विस्तृत जानकारी दी जाती है। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा परियोजना के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना, कंप्यूटर केन्द्रों के स्तरोन्नयन, कंप्यूटर अनुप्रयोग निष्णांत पाठयक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों की मदद करने तथा वैयक्ति कंप्यूटर और उससे जुड़े साफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए कालेजों की मदद करने के लिए एक योजना है। विश्वविद्यालयों/कालेजों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10.15 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय और कालेज'' आठवीं योजना के दौरान कालेजों और विश्वविद्यालयों का विकास'' नामक योजना के तहत स्वयं को उपलब्ध कराए गए उपकरण अनुदान से भी कंप्यूटर खरीद सकते हैं।

Financial Assistance to Maharashtra Colleges and Universities

1612. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that financial assistance is provided by UGC to the Colleges and Universities for improvement in teaching and research under special assistance programmes;

(b) if so, the details thereof;

(c) the number of Colleges/Universities in the State of Maharashtra, particularly in Nagpur and Vidarbha region, provided with such financial assistance during the last three years, with details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) and (b) University Grants Commission (UGC) provides financial assistance to selected Departments in Humanities, Social Sciences, Science, Engineering and Technology. Such assistance is provided under the Special Assistance Programme at three levels, namely:—

(i) Centres of Advanced Study (CAS);

(ii) Departments of Special Assistance (DSA); and

(iii) Departmental Research Support (DRS).

The details of financial assistance provided under the programme are as under:—

	Science & Technology	Humanities & Social Science	Duration
CAS	60.00 lakhs	30.00 lakhs	5 years
DSA	50.00 lakhs	25.00 lakhs	5 years
DRS	35.00 lakhs	17.50 lakhs	5 years

(c) and (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.